मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल–462004

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 16/02/2018

क्रमांक एफ 8–8/2018/54–2 :: राज्य शासन एतद द्वारा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु, "धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया 2018" संलग्न प्रति अनुसार जारी होने की दिनांक से प्रभावशील की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
16.2.18
(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 8–8/2018/54–2 भोपाल,दिनांक 16/02/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मा0 मंत्री जी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
4. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी मान्यता शाखा आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, म.प्र.।
8. समस्त सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, म.प्र. की ओर मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया–2018 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

अवर सचिव 16.2.18
मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन

धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया – 2018

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया – 2018

प्रस्तावना –

1. नाम– धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के मागदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया – 2018.

2. क्षेत्र– शैक्षणिक संस्थान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रबंधित एवं संचालित करने हेतु।

3. संस्था– संस्था का तात्पर्य धार्मिक/भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति द्वारा संचालित/व्यक्तियों द्वारा गठित जैसे मध्य प्रदेश फर्म एवं संस्था अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/धारा 25 के अंतर्गत प्रा.लि. कम्पनी, आदि द्वारा स्थापित की जाने वाली अशासकीय/स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षणिक संस्था, जो तदसमय लागू प्रमाणीकरण संस्था (Certifying Agency) जैसे:– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (A.I.C.T.E.) आदि द्वारा मान्यता प्राप्त तथा विश्वविद्यालय/मण्डल से नियम अनुसार स्थापित की जानी हो।

4. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2004 NCMEI Act, 2004 (2 of 2005), (18 of 2006), (20 of 2010) की धारा 10 के प्रावधान अनुसार राज्य शासन द्वारा नियुक्त/नामित प्राधिकृत अधिकारी– धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत होंगे।

5. प्रबंधकारिणी– प्रबंधकारिणी से तात्पर्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना हेतु प्रास्तावित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के प्रबंधन हेतु गठित समिति की नियमानुसार पंजीकरण संस्था जैसे–(पंजीयक फॉमर्स एवं सोसाइटीज़, म.प्र.) द्वारा वैध एवं अनुमोदित प्रबंधकारिणी।

6. अल्पसंख्यक– म.प्र. शासन/भारत सरकार द्वारा घोषित धार्मिक/भाषायी अल्पसंख्यक, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिये परिभाषित भाषाई अल्पसंख्यक।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मंत्रालय

7. आवेदन प्रक्रिया – अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना हेतु अनापत्ति प्राप्त करने के लिए संस्था को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (प्रपत्र संलग्न) कार्यालय आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, सतपुड़ा भवन, भोपाल को करना होगा। (निर्धारित प्रपत्र संलग्न है), आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करने होंगे:–

7.1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में।

7.2. पंजीयक, फर्म एवं संस्था का पंजीयन (पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति)।

7.3. प्रबंधक समिति की नियमावली।

7.4. प्रबंधक समिति/संस्था के वर्तमान आडिट किये गये लेखे एवं आडिट रिपोर्ट, आवेदन देने की दिनांक से पूर्व के।

7.5. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था के भर्ती नियम–शैक्षकीय/गैर शैक्षकीय।

7.6. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था की चल/अचल संपत्ति की सूची एवं प्रमाणित मूल्यांकन।

7.7. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था में लागू किये जाने वाले प्रस्तावित पाठयक्रमों की सूची।

7.8 शैक्षणिक संस्था में कार्यरत शैक्षकीय/गैर शैक्षकीय अमले की शैक्षणिक योग्यता, पद, वेतन तथा संस्था में कार्य प्रारम्भ करने की जानकारी। (निर्धारित प्रपत्र पर) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना तिथि के तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।

7.9 शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों की संख्या। (निर्धारित प्रपत्र पर) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना तिथि के तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।

7.10 ए.आई.सी.टी.ई. अथवा जो भी लागू हो का प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय/बोर्ड जो भी लागू हो का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना तिथि के तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मन्त्रालय

7.11 निर्धारित पंजीयन शुल्क रूपये 5,000/– के भुगतान का विवरण। (बैंक चलान की प्रति)

7.12 आवेदन पत्र से संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।

7.13 आवेदन से पूर्व के एक वर्ष की धारा 27 एवं 28 के पालन स्वरूप रजिस्ट्रार फॉर्म्स एवं सोसाईटीज़ को अभिलेख प्रस्तुत करने संबंधी पंजीयन कार्यालय को प्रस्तुत पत्र की पावती की सत्यापित छायाप्रति। संस्था की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति (यदि आवेदक संस्था के पंजीयन को एक वर्ष की अवधि हो चुकी है) नवीन पंजीकृत संस्थाओं के प्रकरणों में यह लागू नहीं होगा।

7.14. रजिस्ट्रार फॉर्म्स एवं सौसाईटीज़ द्वारा अनुमोदित/सत्यापित संस्था की वर्तमान कार्यकारिणी/प्रबंधकारिणी की सूची।

7.15 प्रबंधक संस्था/समिति के सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित उनके अल्पसंख्यक समुदाय के होने संबंधी विवरण सहित समूहिक अथवा पृथक–पृथक, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।

8 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं संस्था/समिति का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षणः–
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी आवेदन कार्यालय आयुक्त/संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन, भोपाल को प्रस्तुत किये जाए। कार्यालय आयुक्त की संबंधित शाखा प्राप्त आवेदनों का मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया अनुसार परीक्षण कर कमी पूर्ति पश्चात आवेदक संस्था के परिसर का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसा टीप निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा निरीक्षण उपरांत एक माह की समय अवधि में प्राप्त करें।

9. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निराकरण आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश द्वारा गठित समिति के माध्यम से विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव के अनुमोदन से कार्यालय आयुक्त पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की संबंधित शाखा से जारी किये जाएंगे।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

10. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्रों का पंजीयन तथा अभिलेख संधारणः– अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्रों का पंजीयन तथा अभिलेख संधारण कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की संबंधित शाखा द्वारा किया जाएगा। इस हेतु प्रमाण पत्रों का अनापत्ति प्रमाण पत्र पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक होगा।

11. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि एवं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जानाः– अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई रूप से जारी किया जाएगा जिसे तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के तीन माह पूर्व संबंधित संस्था द्वारा :–
धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने एवं अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया – 2007, संशोधित 2015. के प्रावधानों अनुसार आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को आवेदन प्रस्तुत कर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

आवेदक संस्था अनापत्ति प्रमाण पत्र की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के तीन माह पहले उपरोक्तानुसार आवेदन करेगी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक या उसके पूर्व यदि ''अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्रमाण पत्र'' जारी नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में आवेदक संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की अवस्था (Status) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का माना जावेगा। बशर्ते आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित अवधि में किया गया आवेदन मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया अनुसार पूर्ण हो।

12. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्रों निरस्त किये जाने के अधिकार :– अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात यदि निर्धारित मानदण्डों में कोई कमी अथवा मिथ्या/कूटरचित अभिलेखों या आधारों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना पाया जाता है तो प्रधिकृत अधिकारी द्वारा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मंत्रालय

13. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात संस्थाओं का निरीक्षणः– अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात स्थापित हो जाने की सूचना संबंधित संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से विभाग को दी जाएगी। विभाग समय–समय पर अपने अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण करा सकेंगे तथा निरीक्षण में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार कमी पाये जाने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने प्रतिवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख कर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

14. कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश को निर्धारित प्रारूप में उपरोक्त क्रमांक 7(1) से 7(15) तक तथा 19(1) से 19(17) तक की ओपचारिकताएं पूर्ण तथा वर्णित जानकारी एवं अभिलेख प्राप्त निर्धारित आवेदन पत्र से संलग्न प्राप्त होने पर संबंधित शाखा द्वारा प्रारंभिक जांच एवं कमी पूर्ति पश्चात, कोई कमी नहीं पाई जाने पर, प्राप्त आवेदन को संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजते हुए, उनके माध्यम से, आवेदक संस्था के प्रस्ताव में दी गई जानकारी अनुसार प्रस्तावक संस्था का निरीक्षण, आवेदन तिथि से 1 माह में कराऐंगे तथा निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी इस मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया में कण्डिका 9 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार/प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर आवेदक/समिति द्वारा प्रस्तावित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

15. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अमान्य किये जाने पर अपील का प्रावधान :–
अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त आवेदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अमान्य करने से पूर्व आवेदक संस्था को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने पश्चात स्थिति के दृष्टिगत अमान्य किये जा सकेंगे। आवेदन अमान्य किये जाने की स्थिति में अमान्य किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपील निधारण हेतु विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव अपील अधिकारी होंगे। अपील का निराकरण अपील अधिकारी अपील प्रस्तुत होने के 45 दिवस के भीतर करेंगे।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मंत्रालय

16. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना :–

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने हेतु उपरोक्त वर्णित प्रावधानों अनुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र के पंजीयन हेतु आयुक्त कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र पंजी का संधारण किया जाएगा। इस पंजी में दर्ज करने के पश्चात कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश की संबंधित शाखा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेंगे।

17. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता:– अनापत्ति प्रमाण पत्र मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी नियम निर्देशों और औपचारिकताओं का प्रमाण पत्र धारी शैक्षिणक संस्था द्वारा पालन किये जाने की स्थिति में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

18. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं का औचक/नियमित निरीक्षण:–

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के पश्चात समय–समय पर नियम, निर्देश और औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित करने हेतु शासन/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था का नियामित/औचक निरीक्षण किया अथवा कराया जा सकेगा। इस निरीक्षण के प्रतिवेदन के आधार पर यह पाये जाने पर कि सस्था द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षिणक संस्था के लिये मापदण्ड, नियम निर्देश तथा औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की जा रही हैं। संस्था को स्पष्टीकरण दिये जाने का अवसर प्रदान किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शासन के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर शासन द्वारा प्रकरण में निर्णय लिया जा सकेगा तथा अपचारी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही के अंतर्गत संस्था को प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त/निलंबित/बहाल करने के अधिकार शासन के पास सुरक्षित रहेंगे।

19. <u>अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये पात्रता एवं शर्ते</u>

19.1. अल्पसंख्यक के आधार, धर्म एवं भाषा अर्थात धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यक दोनों हो सकते हैं, तदनुसार भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित धार्मिक अल्पसंख्यक एवं मध्य प्रदेश के लिये परिभाषित भाषाई अल्पसंख्यक (भारत सरकार द्वारा घोषित) को प्रात्रता होगी।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
भोपाल

19.2. जिस समुदाय के धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से कम हो, अल्पसंख्यक माना जावेगा।

19.3. जो एजेन्सी/संस्था आदि शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन कर रही है, उसका संवैधानिक स्वरूप होना अनिवार्य है उदाहरणार्थ– फर्म एवं समिति पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीकृत/ट्रस्ट अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत/कंपनी अधिनियम धारा 25 अंतर्गत पंजीकृत आदि होना चाहिए।

19.4. अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा तथा प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक सीमित नहीं होगा।

19.5. शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये नियम रहेंगे जिसमें संस्था संबंधित संचालनालय/मण्डल/विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा, शिक्षकों की सेवा शर्ते तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सदभावना बनाये रखा जावेगा।

19.6. संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही संस्था होने का (Privilege) दुरूपयोग किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नहीं करेंगे।

19.7. संस्था के शिक्षकीय एवं गैर – शैक्षकीय अमले के लिये अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा जाये, संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जाये, शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम है वह भी लागू होंगे।

19.8. भर्ती हेतु चयन हेतु प्रक्रिया में विश्वविद्यालय/मण्डल के नियम तथा राज्य शासन के निर्देश लागू होंगे। संस्था संचालन के लिये योग्य शिक्षकों एवं अन्य अमले हेतु उम्मींदवारों को भर्ती करने की स्वतंत्रता रहेगी, परन्तु सलाह दी जाती है कि शिक्षकों तथा अन्य अमलों के चयन खुली (Open) विज्ञप्ति से एवं पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाये।

19.9 संस्था के शिक्षक एवं अन्य अमला अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के ही रखे जायें तथा योग्यता में शिथिलता नहीं की जायेगी।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

19.10. वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाऐं जो अपनी स्थापना पश्चात राज्य/केन्द्र शासन से अनुदान प्राप्त करेंगे, वह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाऐं गैर–अल्पसंख्यकों को धर्म जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर प्रवेश के लिये मना नहीं कर सकेगी।

19.11. किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति के किसी विशेष धार्मिक प्रवचन/पूजा के लिये बाध्य नहीं करेंगे।

19.12. अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकेगी परन्तु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होंगे।

19.13. संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश (दो–तिहाई), अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे। साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम भी लागू होंगे।

19.14. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में से पूर्णतः धार्मिक निर्देश या शिक्षा दे रही संस्था को इससे बाहर रखा गया है अतः ऐसी संस्थाओं के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

19.15. स्थापना हेतु प्रस्तावित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय/मंडल से संबद्धीकरण के लिये प्रवेश में वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्टता, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाना होगा।

19.16. गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को इस विषय में राज्य शासन द्वारा जारी नीति तथा निर्देशों के अंतर्गत रहते हुए शिक्षण शुल्क लेने की स्वतंत्रता होगी परन्तु अनुचित लाभ अर्जन नहीं किया जा सकेगा। ''केपीटेशन फीस'' लिये जाने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश लागू होंगे।

19.17. संस्था को उपरोक्तानुसार (निर्धारित प्रपत्र में) शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अवर सचिव

20. विभाग के लिये निर्देश :–

20.1. प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को भेजकर आवश्यक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन सहित अनुशंसा आवेदन दिनांक से 30 दिन तक प्राप्त की जायेगी।

20.2. यदि किसी संस्था का अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है, तो उसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्ती का कारण स्पष्ट रूप से संबंधित संस्था को सूचित किया जायेगा, निरस्तीकरण आदेश की प्रति संबंधित जिला कलेक्टर, संबंधित विश्वविद्यालय/मंडल तथा प्रमाणीकरण प्राधिकारी/संस्था (Certifying Authority) को भी दिया जावेगा।

20.3. ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं जिसमें पूर्णतः धार्मिक निर्देश या शिक्षा दिये जाते हैं, को इससे बाहर रखा गया है, अतः ऐसी संस्थाओं के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

20.4. अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की अधिकतम अवधि 90 दिन होगी। अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2004 की धारा 10 (3), 10(3)(a), 10(3)(b), 10(4) के प्रावधान लागू होंगे।

20.5. गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशासकीय नियंत्रण कम से कम रखा जायेगा जो आवश्यकताऐं विश्वविद्यालय या बोर्ड (मण्डल) से संबद्धीकरण के लिये आवश्यक है वे रखी जाये। दैनन्दिनी प्रबंधन में जैसे शिक्षकीय गैर–शिक्षकीय एवं अन्य अमले की नियुक्ति एवं उनके ऊपर प्रशासकीय नियंत्रण, प्रबंधन को इसकी स्वतंत्रता रहेगी। अपितु भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया तथा शिक्षकों एवं अन्य अमले के चयन में पारदर्शी पद्धति को अपनाना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये नियम बनाने की जवाबदारी (प्रबंधक संस्था/समिति) संस्था/समिति की होगी।

20.6. अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिये संबंधित प्रशासकीय विभाग के नियम लागू होंगे।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
भोपाल

20.7. संस्थाओं को शैक्षणिक परिवेश की उत्कृष्टता, पाठयक्रम, परीक्षा आदि के लिये संबंधित विश्वविद्यालय या बोर्ड (मण्डल) एवं प्रशासकीय विभाग के निर्देश/नियमों का पालन किया जाना होगा।

20.8. किसी भी स्थिति में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने का अनुचित लाभ उठाने की छूट नहीं होगी।

21. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिये उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 की धारा 10 के आधार पर प्रारूपित किये गये हैं। यह मार्गदर्शी सिद्धांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू किये जाने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

22. मध्य प्रदेश शासन के पास अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिये जारी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया में भविष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के अधिकार सुरक्षित हैं।

(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

धार्मिक अल्पसंख्यक/भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए

आवेदन-पत्र

प्रति,

आयुक्त
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
सतपुड़ा भवन,
भोपाल (म०प्र०)

भारत सरकार द्वारा घोषित धार्मिक अल्पसंख्यक/भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा गठित प्रबंधक समिति आदि द्वारा स्थापना हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था का विवरण निम्नानुसार है तथा समस्त संबंधित अभिलेखों एवं जानकारियों की स्वसत्यापित प्रतियां इस आवेदन से संलग्न करते हुए निवेदन है कि आवेदित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने कष्ट करें।

1. प्रबंधक समिति का नाम :— .....

2. प्रबंधक समिति का पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर :— .....

3. प्रबंधक समिति द्वारा स्थापना एवं संचालन हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था का पूर्ण नाम :— .....

4. क्रमांक 3 पर दर्ज प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था का पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर :— .....

5. प्रबंधक समिति का पंजीयन क्र. एवं कार्य क्षेत्र (रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसाईटी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र तथा नियम उपनियमों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें) :— .....

6. प्रबंधक समिति के अंकेक्षित (Audited) वित्तीय लेखों की स्वसत्यापित प्रति तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Note) की स्वसत्यापित प्रति। :— .....

7. प्रबंधक समिति के धार्मिक अल्पसंख्यक/भाषाई अल्पसंख्यक जो भी लागू हो के अल्पसंख्यक समुदाय का नाम। :– .....

8. प्रबंधक समिति के सदस्यों के संबंध में धार्मिक अल्पसंख्यक/भाषाई अल्पसंख्यक की जानकारी का निर्धारित प्रारूप (प्रारूप–एक) में शपथ पत्र संलग्न करें। :– शपथ पत्र संलग्न है/नहीं है।

9. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था का स्तर (विद्यालय/महाविद्यालय) :– .....

10. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था का प्रशासकीय विभाग (स्कूल शिक्षा/सी.बी.एस.सी./अन्य/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा या अन्य विभाग) :– .....

11. प्रबंधक समिति की वर्तमान प्रबंधकारिणी की रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसाइटिज़ द्वारा सत्यापित/अनुमोदित सूची संलग्न करें। :– संलग्न है अथवा नहीं

12. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था में उपलब्ध कराई जाने वाली अधोसंरचना संस्था के प्रशासकीय विभाग/प्रशासकीय संस्था/मण्डल/परिषद द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार होगी, से संबंधित विवरण एवं प्रमाण संलग्न करें। :– संलग्न है अथवा नहीं

13. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था में शिक्षकीय–गैर शिक्षकीय अमले की नियुक्ति से सबंधित प्रस्तावित भर्ती नियमों की स्वप्रमाणित प्रति। :– .....

14. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था किस विश्वविद्यालय/मण्डल/विभाग/परिषद से संबद्धता (Affiliation) रखेगी का नाम :– .....

15. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था का संभावित स्थापना वर्ष :– .....

16. प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था में संचालित होने वाले पाठयक्रमों की स्वप्रमाणित सूची। :– .....

17. शैक्षणिक संस्था में प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण (अध्ययन कक्ष, पुस्ततकालय, खेल मैदान, इनडोर खेल सुविधा, कम्प्यूटर लेब, प्रयोगशाला, छात्रावास या अन्य सुविधा का विवरण संलग्न करें। :— संलग्न है अथवा नहीं

18. उपरोक्त वर्णन के आधार पर क्या आवेदक शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रात्रता रखती है अथवा नहीं। :— प्रात्र है /अप्रात्र है।

19. आवेदक द्वारा जमा किये गये पंजीयन शुल्क की जानकारी :— .....

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

दूरभाष :

(संस्था प्रमुख/प्राचार्य/अध्यक्ष/सचिव)

प्रपत्र–1

(100/– रूपये के नॉन–जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ पत्र

1 मैं/हम शपथपूर्वक कथन करता हूं/करते हैं कि .... (समिति का नाम), नामक समिति जो कि ..... (समिति का पता) पर स्थापित एवं संचालित है के हम सभी/मैं प्रबंधकारणी सदस्य हैं/हूं।

2. उपरोक्त समिति का पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... तथा कार्य क्षेत्र ..... है।

3. उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा ..... (शैक्षणिक संस्था का नाम) नामक शैक्षणिक संस्थान जो कि .... (शैक्षणिक संस्था का पूर्ण पता) पर स्थापित एवं संचालित होना प्रस्तावित है। समिति द्वारा प्रबंधित एवं संचालित की जाएगी।

4. उपरोक्त प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ–साथ अन्य वर्ग एवं समुदाय के विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाएगा।

5. मैं/हम सभी सदस्य ..... अल्पसंख्यक समुदाय के अनुयायी हैं।

क्रमांक	सदस्य का नाम, पिता का नाम तथा वर्तमान पता	अल्पसंख्यक समुदाय का नाम
1.	नाम : पिता का नाम : वर्तमान पता :	

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम शपतपूर्वक कथन करते हैं कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से लगायत 5 तक दी गई जानकारी हमारी/मेरी जानकारी अनुसार सही एवं सत्य है।

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

(100/– रूपये के नॉन–जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ पत्र

1 मैं/हम शपथपूर्वक कथन करता हूं/करते हैं कि .....
..... (समिति का नाम), नामक समिति जो कि ..... (समिति का पता) पर स्थापित एवं संचालित है के हम सभी/मैं प्रबंधकारणी सदस्य हैं/हूं।

2. उपरोक्त समिति का पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक .....
तथा कार्य क्षेत्र ..... है।

3. उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा .....
(शैक्षणिक संस्था का नाम) नामक शैक्षणिक संस्थान जो कि .....
..... (शैक्षणिक संस्था का पूर्ण पता) पर स्थापना हेतु शैक्षणिक संस्था प्रस्तावित समिति द्वारा प्रबंधित एवं संचालित की जाएगी।

4. यह कि उपरोक्त वर्णित प्रबंधन समिति के हम सभी सदस्य .....
अल्पसंख्यक समुदाय के अनुयाई हैं/ ..... भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के अनुयाई हैं जो कि भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार घोषित अल्पसंख्यक समुदाय है।

5. यह कि हमारा अल्पसंख्यक समुदाय/भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया है।

6. यह कि उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन करने वाली समिति जिसका विवरण उपरोक्त कण्डिका में वर्णित है का स्वरूप संवैधानिक है तथा यह समिति ..... अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।

7. यह कि उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था में प्रदेश के केवल अल्पसंख्यक समुदाय तक समित नहीं होगा।

8. यह कि शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रवंधन के लिये नियम रहेंगे जिसमें संस्था संचालनालय/मण्डल/विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण आदि का स्पष्ट

उल्लेख होगा, शिक्षकों की सेवा शर्ते तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखा जावेगा।

9. यह कि संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही संस्था होने का (Privilege) दुरूपयोग किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नहीं करेंगे।

10. यह कि संस्था के शिक्षकीय एवं गैर – शैक्षकीय अमले के लिये अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा जायेगा, संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जायेगा, शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम है वह भी लागू होंगे।

11. यह कि शिक्षकों तथा अन्य अमलों के चयन खुली (Open) विज्ञप्ति से एवं पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाए। इसमें भर्ती हेतु चयन हेतु प्रक्रिया में विश्वविद्यालय/मण्डल के नियम तथा राज्य शासन के निर्देश जो भी संस्था पर लागू हों का पालन किया जाएगा।

12. यह कि संस्था के शिक्षक एवं अन्य अमले की नियुक्ति में निर्धारित शैक्षणिक अर्हाता, योग्यता तथा अनुभव के मानकों में कोई शिथिलता नहीं की जाएगी।

13. यह कि उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था में किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति के किसी विशेष धार्मिक प्रवचन/पूजा के लिये बाध्य नहीं करेंगे।

14. यह कि अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकेगी परन्तु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होंगे।

15. यह कि संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश (दो–तिहाई) अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे यह सुनिश्चित किया जाएगा। संस्था द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम भी लागू किये जाएंगे।

16. यह कि उपरोक्त वर्णित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में पूर्णतः धार्मिक निर्देश एवं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

17. यह कि उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में विश्वविद्यालय/मंडल से संबद्धीकरण के लिये प्रवेश में वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्टता, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक

भौतिक संरचना, पाठयक्रम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है एवं पालन किया जाएगा।

18 संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर

<u>घोषणा</u>

मैं/हम शपतपूर्वक कथन करते हैं कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से लगायत 18 तक दी गई जानकारी हमारी/मेरी जानकारी अनुसार सही एवं सत्य है।

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर

प्रपत्र–3

(प्रशासकीय विभाग के कार्यालय उपयोग के लिये)

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना हेतु प्रशासकीय विभाग की निरीक्षण टीप –

अनुशंसा –

कमियों की सूची –

पृथक प्रतिवेदन यदि कोई हो तो –

दिनांक –
स्थान –

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम .....

पदनाम.....

दूरभाष.....